

दिनांक 16.03.2019 के 3.00 बजे अपराह्न में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय कोषांग में फ्लाइंग स्क्वैड एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम के साथ की गई प्रशिक्षण -सह- समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति - यथा पंजी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा उपस्थित सभी फ्लाइंग स्क्वैड एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम का स्वागत करते हुए समीक्षात्मक बैठक प्रारम्भ की गई। प्रथमतः स्टैटिक सर्विलांस टीम से दलवार अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही इस टीम के दो निदेश दिये गये :-

- विहित प्रपत्र B-10 में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराना।
- जाँच कार्यों में तेजी लाना।

समीक्षात्मक बैठक में पाया गया कि SST के टीम संख्या-3 के दंडाधिकारी श्री दिलिप साह, कनीय अभियंता, मनरेगा, संग्रामपुर, मुंगेर का स्थानान्तरण हो गया है। इनके स्थान पर अन्य दण्डाधिकारी की अविलम्ब प्रतिनियुक्ति हेतु नोडल पदाधिकारी, निर्वाचन व्यय कोषांग को निदेशित किया गया। टीम संख्या -3 के पुलिस पदाधिकारी श्री नियाज अहमद के बारे में ज्ञात हुआ कि वे कोलकाता में ईलाजरत हैं। इनके स्थान पर किसी अन्य पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय को निदेशित किया गया। SST के टीम संख्या-7 के पुलिस पदाधिकारी श्री संजीत कुमार का स्थानान्तरण हो चुका है। श्री संजीत कुमार के स्थान पर पुलिस पदाधिकारी श्री अशोक कुमार, अवर निरीक्षक, धरहरा की प्रतिनियुक्ति करने हेतु निदेशित किया गया। F.S. के टीम संख्या-09 के पुलिस पदाधिकारी श्री अजय कुमार अनुपस्थित थे। इनके संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय को निदेशित किया गया।

2. जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा उपस्थित सभी फ्लाइंग स्क्वैड को उनके दायित्वों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 76 दिनांक 29.05.2015 द्वारा निर्धारित S.O.P. के संबंध में विस्तारपूर्वक समझाया गया। F.S. टीम को निम्नांकित महत्वपूर्ण निदेश दिये गये:-

- F.S. टीम को अगर निर्वाचन अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा चुनाव संबंधी कार्यों में बड़ी मात्रा में पैसे के लेन-देन, अवैध हथियार, असामाजिक तत्वों, शराब, गोला-बारूद एवं भारी मात्रा में नकदी को लाने-ले जाने आदि की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।
- F.S. टीम मतदान समाप्ति तक कार्य करते रहेंगे।
- F.S. टीम जाँच की पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराएंगे।
- F.S. टीम आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और सम्बद्ध शिकायतों के सभी मामलों पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।
- F.S. टीम राजनीति दलों द्वारा की जाने वाली रैलियों, सार्वजनिक बैठक या अन्य बड़े खर्चों को वीडियो निगरानी दल की सहायता से वीडियोग्राफी कराएंगे।
- F.S. टीम अपने वाहन पर लगे घनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से भारतीय दण्ड संहिता-1860 की धारा 171 B और 171 C की घोषणा अनवरत हिन्दी में करते रहेंगे। घोषण की अन्तर्वस्तु निम्नवत् है :-

भारतीय दंड संहिता की धारा 171 B के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 C के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। उड़नदस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों-दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और

लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं। सभी नागरिकों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे कोई रिश्तत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्तत की पेशकश करता है या उसे डराता/धमकाता है तो इसकी शिकायत करने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे।

- F.S. टीम जाँच के दौरान अपना व्यवहार आम नागरिकों के साथ शालीन और मर्यादित रखेंगे।
- F.S. टीम महिलाओं के लेडी पर्स की तलाशी बगैर लेडी पुलिस के नहीं करेंगे।
- F.S. टीम C-VIGIL के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को ससमय जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- F.S. टीम प्रपत्र B-8 एवं प्रपत्र B-9 में दैनिक प्रतिवेदन प्रतिदिन अचूक रूप से जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मुंगेर, निर्वाची पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुंगेर, व्यय प्रेक्षक, मुंगेर एवं निर्वाचन व्यय कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा S.S.T. टीम को निम्नांकित महत्वपूर्ण निदेश दिया गया:-

- S.S.T. टीम भी जाँच के दौरान विडियोग्राफी कराएंगे।
- S.S.T. टीम द्वारा दंडाधिकारी के समक्ष ही जाँच कार्य किया जाएगा।
- S.S.T. टीम द्वारा जाँच के दौरान यदि पचास हजार रुपये से अधिक के साथ यदि अम्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, चुनाव संबंधी सामग्री, शराब, हथियार आदि पाया जाता है तो वाहन सहित जब्त कर लिया जाएगा।
- S.S.T. टीम द्वारा जाँच के दौरान किसी वाहन या व्यक्ति के पास दस लाख से अधिक पाये जाने पर जिला पदाधिकारी, मुंगेर, पुलिस अधीक्षक, मुंगेर एवं आयकर विभाग को भी सूचित किया जाना अनिवार्य है।
- S.S.T. टीम द्वारा जब्त किये गये सामग्री के रिलिज के प्रक्रिया भी संबंधित व्यक्ति को बताई जाएगी।
- S.S.T. टीम B-10 में दैनिक प्रतिवेदन प्रतिदिन अचूक रूप से जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मुंगेर, निर्वाची पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुंगेर, व्यय प्रेक्षक, मुंगेर एवं निर्वाचन व्यय कोषांग का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी द्वारा बैंक के नकदी परिवहन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के जाँच के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.02.2013 को विस्तार से बताया गया एवं इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। जाँच दल बैंक से प्राप्त प्राधिकार पत्र की जाँच करेंगे। वाहन चालक के परिचय पत्र की जाँच कर लेंगे। किसी भी परिस्थिति में बैंक भान में किसी अन्य व्यक्ति का पैसा परिवहन नहीं किया जा सकता है।

अंत में सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


ह0-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह–

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक 22 / निर्वाचन व्यय, मुंगेर दिनांक 23.03.2019 /

प्रतिलिपि :- सभी फ्लाइंग स्क्वैड एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम, निर्वाचन व्यय कोषांग, मुंगेर/पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, मुंगेर/सभी सहायक व्यय प्रेक्षक/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर/नोडल पदाधिकारी, सभी कोषांग/पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह–  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।